श्री उदय कुमार सिंह, जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 31.01.17 को मुंगेर एवं जमालपुर शहरी पेयजलापूर्ति योजना तथा खैरा ग्रामीण जलापूर्ति योजना के प्रगति की समीक्षा हेतु सम्पन्न बैठक की कार्यवाही :-

---

उपस्थिति :-

विदित हो कि माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के निश्चय यात्रा के दौरान दिनांक 18.01.17 को मुंगेर परिभ्रमण अवधि में विभागीय पदाधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि राज्य स्तरीय टीम का गठन कर स्थलीय समीक्षा की जाय। इसी निदेश के आलोक में राज्य स्तरीय गठित टीम द्वारा मुंगेर जिला में चल रही पेयजलापूर्ति योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया गया। तदोपरान्त पेयजलापूर्ति योजना से संबंधित सभी पदाधिकारियों के साथ समन्वय हेतु एक बैठक का आयोजन करने का अनुरोध किया गया। तत्पश्चात् अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर, अधीक्षण अभियंता, विद्युत अंचल/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ/पथ प्रमंडल/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल/विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के साथ कार्यकारी एजेन्सी जे.आई.टी. एफ., वाटर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0, शाखा-मुंगेर की उपस्थिति में यह बैठक आहूत की गई। तदालोक बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई एवं बिन्दुवार कार्यो की प्रगति की समीक्षा की गई एवं संबंधित पदाधिकारियों को निम्न निदेश दिये गये :-

- विभागीय गठित टीम के पदाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि मुंगेर-जमालपुर शहरी जलापूर्ति योजना अन्तर्गत 05नं0 रेलवे क्रॉसिंग से पाईप लाईन बिछाने हेतु रेलवे अधिकारी को अनुमति हेतु अनुरोध किया गया है जिसपर संभवतः अनुमति प्राप्त हो जायेगी। इसके अतिरिक्त मुंगेर शहरी जलापूर्ति योजना अन्तर्गत मुंगेर-पटना एन.एच-80 पर पाईप लाईन बिछाने के दौरान संकीर्ण पथों को यातायात प्रबंधन के तहत् बंद कराना आवश्यक होगा। इस संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि ऐसे संकीर्ण पथों से पाईप लाईन बिछाने के दौरान यातायात को बंद किये जाने की अनुमति इस शर्त्त के साथ प्रदान की जायेगी कि वाहनों के सुचारू परिचालन हेतु वैकल्पिक पथों को चिन्हित करते बेहतर ट्रैफिक मूवमेन्ट प्लान तैयार कर लिया जाय तथा कार्यकारी एजेन्सी द्वारा पूर्व में काटे गये पथों की मरम्मति निश्चित रूप से करा लेंगे तथा यह शपथ-पत्र देंगे कि कार्य के दौरान सड़क के आधे भाग पर छोटे वाहन, आपातकालीन एवं प्रशासनिक वाहनों के परिचालन में कोई परेशानी नही होगी।
- बैठक के दौरान कार्यकारी एजेन्सी के प्रोपराईटर द्वारा बताया गया कि वर्तमान में कस्तूरबा वाटर वर्क्स-बड़ी बाजार से केनरा बैंक तक तथा सोझीघाट से लल्लु पोखर तक के पथ को काटकर पाईप लाईन बिछाने का कार्य किया जाना है जिसके लिए अनुरोध किया गया है। इस आलोक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यकारी एजेन्सी के पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सर्वप्रथम पूर्व में काटे गये वैसे पथों को एक सप्ताह के अन्दर restore करें जहाँ यातायात की परेशानी होगी। तत्पश्चात् अन्य काटे गये पथों की मरम्मति एक माह के अन्दर सुनिश्चित करायेंगे।
- बैठक में उपस्थित नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर द्वारा पृच्छा करने पर अवगत कराया गया कि मुंगेर शहरी जलापूर्ति योजना अन्तर्गत मुख्य मार्ग के माध्यम से वर्तमान में 24 वार्ड को पानी आपूर्ति होगी और अमृत योजना के कार्यान्वयन के पश्चात् मुख्य मार्ग से जुड़े सभी छोटे-छोटे मार्गो को जोड़ा जायेगा जिससे शहरी क्षेत्र के सभी घरों में पानी पहुँचाया जायेगा। इसी क्रम में नगर आयुक्त, नगर

निगम, मुंगेर द्वारा बताया गया कि उक्त शहरी जलापूर्ति योजना के डी.पी.आर. में परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत होती है।

- नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर को निदेश दिया गया कि कष्टहरणी घाट पर अवस्थित पुराने जेट्टी, जो अत्यधिक शोर करता है, को वर्तमान में अन्यत्र स्थानान्तरित करने की कार्रवाई की जाय।
- विभागीय टीम के पदाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि बबुआ घाट पर विद्युत ट्रांसफॉर्मर अधिष्ठापन हेतु लगभग 10x15 फीट का भूखण्ड चिन्हित कर लिया गया है जिसके लिए नगर निगम, मुंगेर अथवा खास महाल पदाधिकारी से अनुमति की आवश्यकता होगी। इस संदर्भ में निदेश दिया गया कि नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर, खास महाल पदाधिकारी, मुंगेर एवं कार्यपालक अभियंता,विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मुंगेर समन्वय स्थापित कर इसके लिए नियमानुसार कार्रवाई करें।
- 02 नं० रेलवे क्रॉसिंग–सफियासराय एवं रमनाकाबाद से पाईप लाईन बिछाने की पृच्छा पर कार्यपाकल अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मुंगेर द्वारा स्पष्ट किया गया कि रेलवे क्रॉसिंग के दोनों तरफ लगभग 75 फीट पथांश रेलवे के अधिग्रहण में रहता है। इस संदर्भ में कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, मुंगेर को निदेश दिया गया कि उक्त रेलवे क्रॉसिंग का स्थलीय निरीक्षण कर पाईप लाईन बिछाने की कार्रवाई हेतु नियमानुसार कदम उठाये जायें।
- कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मुंगेर को निदेश दिया गया कि मुंगेर–जमालपुर शहरी पेयजलापूर्ति योजना तथा खैरा ग्रामीण जलापूर्ति योजना हेतु विद्युत कनेक्शन यथाशीघ्र लगवाना सुनिश्चित करें।
- कार्यकारी एजेन्सी को निदेश दिया गया कि हर हाल में मुंगेर शहरी जलापूर्ति योजना का कार्य 15 मार्च, 2017 तक तथा जमालपुर शहरी पेयजलापूर्ति योजना का कार्य 30 अप्रैल, 2017 तक निश्चित रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित अवधि तक कार्य सम्पन्न नहीं करने तथा इसके फलस्वरूप किसी प्रकार की विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने पर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जायेगी।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

2/2/17

(उदय कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक–.....237....../गो०, मुंगेर, दिनांक....02.02.17

प्रतिलिपि : प्रोपराईटर, जे.आई.टी.एफ. वाटर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा०लि०, मुंगेर शाखा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर/अपर समाहर्त्ता, मुंगेर/अनुमंडल पदाधिकारी, सदर/खड़गपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मुंगेर/अधीक्षण अभियंता, विद्युत अंचल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : डी.आर.एम., मालदा डिवीजन, मालदा को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/2/17

(उदय कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

02/02/17